कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कॉनसेप्ट स्टील्स, सी-183, सेक्टर-63, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**084 / 11, 09.09.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री कॉनसेप्ट स्टील्स, सी-183, सेक्टर-63, नोएडा द्वारा दिनांक 09.09.2011को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. What is the billing method in our case, as works contract is exclusive of VAT & SERVICE TAX ?

2. How do we have to charge Tax in bill as it differs item-wise ?

3. Are we covered under rule 9 clause 3 serial no. 2, of VALUE ADDED TAX RULES, 2008 for Whole contract ?

4. Kindly confirm the rate of taxes that we have to charge in our works billing :

Iron & steel=4%

Hardware=5%

Bronze=5%

5. As per our understanding our liability will be calculated on all the three aforementioned items, for the same below mentioned is the description with the way of their utilization in the execution of works contract :

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 26.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-10, नोएडा द्वारा अपने पत्र संख्या-633, दिनांक 13.02.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नोटिस में दिये गये पते पर फर्म बन्द पायी गयी। अत: नोटिस बिना तामीली के वापस प्रेषित की गयी है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-901, दिनांक 25.11.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में अंकित बिन्दु संख्या-1, 2, 3 एवं 5 में वर्क कान्ट्रैक्ट के मामले में इनवाइस जारी करने की प्रक्रिया पूछी गई है जो कि कान्ट्रैक्ट एवं उसमें अन्तरित होने वाले माल पर निर्भर करती है तथा उक्त प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) a, b, c, d एवं e के अन्तर्गत नहीं आते हैं अत: इनके सम्बन्ध में आख्या प्रेषित किये जाना अपेक्षित नहीं है। बिन्दु संख्या-4 में अंकित वस्तुओं में आयरन एण्ड स्टील पर 4% हार्डवेयर पर उत्तर

...2

प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-87 पर अंकित वस्तुओं पर ही 4% + 1% शेष पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति तथा Bronze पर 4% + 1% की दर से करदेयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

प्रार्थी द्वारा works contract के मामले में अपने जिज्ञासा में बिन्दु संख्या-1, 2, 3 एवं 5 में जो प्रश्न पूछे गये हैं वे उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं हैं अत: उनका उत्तर दिया जाना वॉछित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में आयरन एण्ड स्टील, हार्डवेयर तथा Bronze पर करदेयता क्रमश: 4%, 5% एवं 5% अंकित करते हुए इनके कार्य संविदा में प्रयोग की स्थिति में कर की दर जाननी चाही है। इन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में अपने कार्य की प्रकृति स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि उनके द्वारा Bronze false ceiling की आपूर्ति एवं fixing तथा Stainless steel structure की आपूर्ति एवं fixing का कार्य किया गया है साथ में कार्य संविदा की प्रति भी लगायी गई है। उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य संविदा की प्रति से यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक drawing के अनुसार Bronze के Petal बना कर उसकी ceiling बनायी है तथा steel के frame बनाकर fix किये गये हैं। यह Bronze या steel की आपूर्ति नहीं है बल्कि उनसे बने आइटम की कार्य संविदा में आपूर्ति है। यह आइटम उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी ने works contract के अन्तर्गत कारित संव्यवहारों के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछे गये हैं वे प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं हैं। अत: प्रश्न के बिन्दु संख्या-1, 2, 3 एवं 5 का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रश्न के बिन्दु संख्या-4 पर प्रार्थी ने Iron & steel, Hardware

...3

एवं Bronze पर करदेयता पूछी है, किन्तु कार्य की प्रकृति से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कार्य संविदा में अवर्गीकृत वस्तु की आपूर्ति की गयी है जिस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 मार्च, 2014

ह0 / 11.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।